न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाडमेर जिला बाडमेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री समदरसिंह भाटी आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या / 2024

प्रार्थी — बनाम — अप्रार्थीगण
तहसीलदार बाडमेर — राजस्थान राज्य

रास्ते सम्बन्धी समस्याओं का निराकरण अधिनियम 2016

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 अन्तर्गत धारा 131 एवं 132

दिनांक - 06/09/24

आदेश

तहसीलदार बाडमेर के पत्रांक राजस्व / 2023 / 610 दिनांक 14.06.2023 द्वारा मौजा डीगडा पटवार क्षेत्र आटी तहसील बाडमेर व जिला बाडमेर में निम्नानुसार भूमि मे स्थाई रास्ता जो ग्राम डीगडा से ग्राम पंचायत लंगेरा तक रास्ता चल रहा है, जिसका क्षेत्र 0.4695 हैक्टेयर है, जो बरंग लाल है, जिसे रास्ते के रूप में खातेदार के खाते में राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने हेतु प्राप्त हुआ है जो वर्तमान मे रास्ते के रूप में उपयोग की जा रही है, की किस्म परिवर्तित कर रास्ते के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाने का निवेदन किया साथ ही तहसीलदार बाडमेर ने उक्त रास्ते को राजस्व अभिलेख में अंकन करने हेतु अपनी स्पष्ट अभिशंषा की है तथा ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव संख्या 03 दिनांक 26.02.2024 द्वारा भी राजस्व ग्राम डीगडा के खसरा संख्या 879 / 646 में स्थित (चल रहे) कदिमी रास्ते को राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाने की अनुशंषा की है। सचिव, नगर विकास न्यास, बाड़मेर द्वारा भी अपने पत्रांक नविन्या / बाड़ / 2024 / 2338 दिनांक 30.08.2024 द्वारा उक्त भूमि को आम रास्ता दर्ज करने पर अनापत्ति जारी की गई है। इस प्रकार यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

पटवार मण्डल – आटी — तहसील – बाडमेर

वर्तमान में जमाबन्दी में अंकित प्रविष्टी							नवीन रास्ते हेतु प्रविष्टी			
क्र. सं.	जीसीएमस पोर्टल पर दर्ज क्रमांक	तहसीलदार बाडमेर के पत्रांक मय दिनांक	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा (हैक्टेयर में)	किस्म	खसरा नम्बर	रास्तें में प्रभावित रकबा (हैक्टेयर में)	किस्म जमीन
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
		610/14.06.2023	डीगडा	879/646	53.7341	गै.मु. गोचर	879/646	0.4695	गै.मु. रास्ता (गोचर)

नोट :– तहसीलदार बाडमेर तदनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन करे, भूमि नगर विकास न्यास, के खाते में यथावंत दर्ज रहेगी। तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत नक्शा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
बाडमेर

उपखण्ड अधिकारी
बाडमेर
उपखण्ड अधिकारी
बाडमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2025.06.26 17:28:19 IST
Reason: SelfAttested

आदेश सरे ईजलास में सुनाया गया।